

**In the Court of Rajeev Kumar-III, District and Additional
Sessions Judge-I-cum-Special Judge, Sitamarhi.
Trial No. 123/2019
C.I.S. (Reg.). No. 2265/2018**

S.L. No.	Date of order of proceeding	Order with Signature of the Court.	Office action taken with date
	23.03.2026	<p>1. अभियुक्त 1. बैधनाथ प्रसाद यादव की हाजिरी है एवं अभियुक्त राहुल राय एवं रामनाथ राय की ओर से प्रतिनिधित्व का आवेदन है जो आज हेतु स्वीकृत किया गया। आज अभिलेख साक्ष्य हेतु निश्चित है। पुकार पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए एवं विद्वान विशेष लोक अभियोजक भी उपस्थित हुए। अभिलेख साक्ष्य हेतु मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया।</p> <p>2. अभियोजन साक्षियों को प्रस्तुत करने के लिए विद्वान विशेष लोक अभियोजक को कई तिथि दी गई लेकिन दिनांक 23.03.2026 तक एक भी साक्षी को प्रस्तुत नहीं किया गया। अंततः दिनांक 23.03.2026 को अभियोजन साक्ष्य बंद किया गया। तत्पश्चात् उभय पक्षों को धारा 232 द0प्र0सं0 के प्रावधानों पर सुना।</p> <p>3. अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि अभियोजन साक्षियों को प्रस्तुत करने हेतु 23 महीना से अधिक का समय देने के पश्चात् भी एक भी साक्षी को अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि न्यायालय द्वारा साक्षियों को प्रस्तुत करने के लिए विशेष लोक अभियोजक को आदेश दिया गया है। इस वाद की प्राथमिकी वर्ष 2009 की है। इस प्रकार यह वाद 16 वर्षों से अधिक पुराना है तथा न्यायालय द्वारा साक्षियों के प्रस्तुत करने हेतु विशेष लोक अभियोजक को आदेशित किया गया था के पश्चात् भी इस वाद के सूचक, अनुसंधानक और अन्य गैर सरकारी गवाह भी उपस्थित नहीं हुए। इस प्रकार अभियोजन वाद साक्ष्य विहीन है तथा अभियोजन, अभियुक्तों के विरुद्ध गठित आरोपों को सिद्ध करने में पूर्णरूपेण विफल रहा है।</p> <p>4. अतः न्यायालय विचारण का सामना कर रहे अभियुक्तगण 1. बैधनाथ राय, 2. राहुल राय एवं 3. रामनाथ राय को उनके विरुद्ध आरोपित धाराओं—341/34, 323/34, 504/34, भा0द0वि0 एवं धारा—3(1)(x), अनुसूचित</p>	

**In the Court of Rajeev Kumar-III, District and Additional
Sessions Judge-I-cum-Special Judge, Sitamarhi.
Trial No. 123/2019
C.I.S. (Reg.). No. 2265/2018**

जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत अभिलेख पर साक्ष्य के अभाव में अभियुक्त को दोषी नहीं पाती है तथा साक्ष्य के अभाव में अभियुक्तगण 1. **बैधनाथ राय**, 2. **राहुल राय** एवं 3. **रामनाथ राय** को निर्दोष पाकर धारा-232, दं0प्र0सं0 के प्रावधानों के अन्तर्गत दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उन्हें तथा उनके जमानतदारों को जमानत बंध पत्र के दायित्व से उन्मोचित किया जाता है।

लेखापित,
ह0/-

(राजीव कुमार-III)

प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-सह
-विशेष न्यायाधीश [SC/ST (POA) Act],
सीतामढ़ी।

दिनांक-23.03.2026